रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2017/कार्तिक 26, 1939
No. 439] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017/KARTIKA 26, 1939

इलाहाबाद बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 3 नवम्बर, 2017

एफ. सं. एचओ/एडीएमएन/एफ-49/1512.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है,

1. (1) ये विनियम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहे जाएंगे।

(2) जब तक संबंधित विनियमों में अन्यथा न कहा गया हो, ये विनियम नवम्बर, 2007 की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

2. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसमें इसके बाद कथित विनियम के रूप में उल्लिखित) में विनियम 3 में:—

(i) खंड (एफ) हेतु निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(एफ)' "परिवार" से अभिप्राय अधिकारी का पति/पत्नी, पूर्णतया आश्रित अविवाहित संतान (आश्रित सौतेले और विधिपूर्वक गोद लिए हुए बच्चे), चालीस प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग भाई अथवा बहन और ऐसे माता-पिता जो सामान्यतया साथ में रहते हों और अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित हों ।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनार्थ उस संतान, माता-पिता अथवा दिव्यांग भाई या बहन को अधिकारी पर आश्रित तभी माना जाएगा जब ऐसी संतान, माता-पिता, भाई या बहन की मासिक आय रु. 3,500 प्रति माह से अधिक न हो।

परंतु यह कि यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु.3,500 प्रति माह से अधिक है या माता-पिता की सकल आय रु. 3,500 प्रति माह से अधिक है तो माता–पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ओ) को विलोपित किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में :—

(i) उप-विनियम (4ए) को विलोपित किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (4ए) के ऐसे विलोपन के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(5) 1 नवम्बर, 2007 से प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा—

(ए) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII – रु. 46800-1300/4-52000

वेतनमान VI - रु. 42000-1200/4-46800

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V – रु. 36200-1000/2-38200-1100/2-40400

वेतनमान IV - रु. 30600-900/4-34200-1000/2-36200

(सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III – रु. 25700-800/5-29700-900/2-31500

वेतनमान II - रु. 19400-700/1-20100-800/10-28100

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I - रु. 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700

स्पष्टीकरण- दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 को प्रभावी वेतनमान द्वारा नियंत्रित अधिकारी का नियतन दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को इस विनियम के अनुसार निर्धारित किए गए वेतनमान में चरण दर चरण आधार पर किया जाएगा अर्थात सदृश्य चरणों पर, संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण और उसके आगे तथा वेतनवृद्धि पहले की तरह वार्षिक होगी जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में :—

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अधीन,दिनांक 1 नवम्बर,2007 को तथा उसके बाद से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर की जाएगी, अर्थात्:—

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत (accure) होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं, उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

(बी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान । के अधिकारी जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान ।। पर पहुंचते हैं, वे सेवा के हर तीन पूर्ण वर्षों हेतु चार गत्यावरोध वेतनवृद्धि के पात्र होंगे जिनमें से प्रथम दो रु. 800 प्रति और अगली दो 900 प्रति होगी:

परंतु यह कि जिन अधिकारियों ने 1 नवम्बर, 2007 को यथास्थिति दूसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन वर्षों या अधिक की सेवा पूरी की है, तीसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि 1 नवम्बर, 2007 को प्राप्त करेंगे और अगली गत्यावरोध वेतनवृद्धि दूसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद छह वर्ष पूरा करने पर 1 नवम्बर, 2008 को या उसके बाद प्राप्त करेंगे।

IndiaCode

(सी) मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान ।। के अधिकारी जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान ।।। पर पहुंचे हैं वे सेवा के हर तीन पूर्ण वर्षों हेतु रु. 900 प्रत्येक की तीन गत्यवारोध वेतनवृद्धि के पात्र होंगे:

परंतु यह कि जिन अधिकारियों ने 1 नवम्बर, 2007 को यथास्थिति प्रथम गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन वर्षों या अधिक की सेवा पूरी की है, वे अगली गत्यावरोध वेतनवृद्धि 1 नवम्बर, 2007 से प्राप्त करेंगे और परवर्ती गत्यावरोध वेतनवृद्धि पहली गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद छह वर्ष पूरा करने पर 1 नवम्बर, 2008 को या उसके बाद प्राप्त करेंगे।

परंतु यह भी कि मूलत: मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान ।।। में नियुक्त अथवा पदोन्नत अधिकारी सेवा के हर तीन पूर्ण वर्षों हेतु रु. 900 प्रत्येक की चार गत्यवारोध वेतनवृद्धि के पात्र होंगे ; अथवा

परंतु यह भी कि पहले ही दो गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुके और 1 नवम्बर, 2007 को यथास्थिति दूसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर चुके अधिकारी तीसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि 1 नवम्बर, 2007 से प्राप्त करेंगे और चौथी गत्यावरोध वेतनवृद्धि दूसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद छह वर्ष पूरा करने पर 1 नवम्बर, 2008 को या उसके बाद प्राप्त करेंगे।

स्पष्टीकरण- इस उप- विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व वहीं बने रहेंगे जो उनके मूल पदों में थे।

(बी) उप-विनियम (2) में –

(i) स्पष्टीकरण में, खंड (ई) के बाद और टिप्पणी से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(एफ) नवम्बर, 2007 के पहले दिन को तथा उसके बाद से अन्य बातें समान रहने पर व्यावसायिक अर्हता वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित की जाएगी:-

तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकर्स अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकर्स उत्तीर्ण किया है	**(i)** रु. 410 प्रति माह, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद।
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं।	(i) रु. 410 प्रति माह, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद। (ii) रु. 1030 प्रति माह, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्षों बाद।

परंतु यह कि वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के बाद जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकर्स अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकर्स (एक या दोनों भाग) उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी को ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की परवर्ती किस्तें व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त निर्मुक्त करने की तिथि के संदर्भ में होगी:

परंतु यह भी कि उस मामले में जहां किसी अधिकारी ने पहले ही उपर्युक्त में से कोई भी अर्हता प्राप्त कर ली है और ऐसी अर्हता अर्जित करने पर उसे कोई वेतनवृद्धि अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं मिला है तो उसे 1 नवम्बर, 2007 से अथवा ऐसी अर्हता अर्जित करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन दिया जा सकेगा।"

(ii) टिप्पणी में, खंड (v) हेतु निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(v) यदि 27 अप्रैल, 2010 को किसी अधिकारी ने खंड (iv) में संदर्भित उक्त में से कोई अर्हता पहले ही प्राप्त कर ली है और ऐसी अर्हता अर्जित करने पर उसे कोई वेतनवृद्धि अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं मिला है तो उसे 1 नवम्बर, 2007 से अथवा ऐसी अर्हता अर्जित करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन दिया जाएगा।"

(सी) उप-विनियम (3) में :—

IndiaCode

(i) खंड (डी) के बाद और टिप्पणी से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ई) 1 नवम्बर, 2007 को या उसके बाद से, अन्य बातें समान रहने पर मकान किराया भत्ता सहित स्थिर वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाएगा और संपूर्ण सेवा काल के लिए स्थिर रहेगा"

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	वेतनवृद्धि घटकों पर 01.11.2007 को यथास्थिति मंहगाई भत्ता (रु.)	कुल देय नियत वैयक्तिक वेतन जहां बैंक का आवास प्रदान किया जाता है (रु.)
(ए)	(बी)	(सी)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394"

IndiaCode

(ii) टिप्पणी में, खंड (i) और (ii) हेतु निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"(i) खंड (बी), (सी), (डी) अथवा (ई) के अंतर्गत तालिका के कालम (सी) के अंतर्गत यथाउल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक आवास उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) मकान किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन खंड (ई) के अंतर्गत तालिका के कालम (ए) और (बी) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सकल राशि और संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ता, जब विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4) अथवा (5) में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित वेतनमान में पिछली वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है, होगी।"

(iii) नोट के बाद आने वाला खंड (ई) उसके उप-खंड (v) के रूप में पुन: अंकित किया जाएगा और इस प्रकार अंकित खंड (v) हेतु निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:—

"(v) जिस अधिकारी ने उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है, वह वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी) अथवा (ई) में यथाउल्लिखत नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन आहरित करेगा। ",

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में

(i) उप-विनियम (3) में, टिप्पणी विलोपित की जाएगी।

(ii) उप-विनियम (4) में, टिप्पणी विलोपित की जाएगी।

(iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम और टिप्पणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्

"(5) नवम्बर, 2007 के पहले दिन को तथा उसके बाद से मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 पर वेतन के 0.15% पर तिमाही औसत में 2836 बिंदुओं में हर चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा"

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ—

(ए) मंहगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु "वेतन" से तात्पर्य गत्यावरोध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन होगा।

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी), (डी), (ई) और (एफ) में यथाविनिर्दिष्ट व्यावसायिक अर्हता भत्ते अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन की गणना मंहगाई भत्ते के लिए की जाएगी।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) और (2) हेतु निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) नवम्बर, 2002 की पहली तारीख को तथा उसके बाद से

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रिहायशी आवास प्रदान किया जाता है तो जिस वेतनमान पर वह पदस्थ है, उसके प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत की समतुल्य राशि अथवा आवास का मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूला जाएगा।

(बी) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रिहायशी आवास प्रदान नहीं किया गया है तो वह निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होगा, अर्थात्:—

तालिका

जहां कार्य का स्थल निम्नानुसार है	मकान किराया भत्ता निम्नानुसार देय होगा
(1)	(2)
(i) प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र । में अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु यह कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता जिस वेतनमान में वह पदस्थ है उसके प्रथम चरण के वेतन के 1.75 प्रतिशत से अधिक रिहायशी आवास हेतु भुगतान किए गए वास्तविक किराए का उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत देय होगा।

(2) नवम्बर, 2007 की पहली तारीख को और से—

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रिहायशी आवास प्रदान किया जाता है तो जिस वेतनमान पर वह पदस्थ है उसके प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत की समतुल्य राशि अथवा आवास का मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूला जाएगा।

(बी)जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रिहायशी आवास प्रदान नहीं किया जाता है तो वह निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता हेतु पात्र होगा, अर्थात्—

तालिका

जहां कार्य का स्थल निम्नानुसार है	मकान किराया भत्ता निम्नानुसार देय होगा
(1)	(2)
(i) प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र । में अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

IndiaCode

परंतु यह कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता जिस वेतनमान में वह पदस्थ है उसके प्रथम चरण के वेतन के 1.20 प्रतिशत से अधिक रिहायशी आवास हेतु उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक किराए का उक्त कालम (2) में उल्लिखित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत देय होगा।

टिप्पणी: अब से अधिकारियों के स्वामित्व वाले आवास की लागत से संबद्ध मकान किराया भत्ते का दावा भी मकान किराए भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होगा।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में—

(i) उप-विनियम (1) में, "नवम्बर 2002 के पहले दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों हेतु "नवम्बर 2007 के पहले दिन" अंकों, अक्षर और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (2) में "नवम्बर 2002 के पहले दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों हेतु "नवम्बर 2007 के पहले दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) हेतु निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(3) नवम्बर 2007 के पहले दिन को या उसके बाद से यदि कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में सेवारत है जिसे समूह क अथवा समूह ख में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना है तो वह समूह क अथवा समूह ख के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार रु. 290 प्रति माह और रु. 255 प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिकरात्मक भत्ता हेतु पात्र होगा।

(4) नवम्बर 2007 के पहले दिन को या उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसकी एक या अधिक संतान पूर्ववती स्थान में विद्यालय अथवा महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं तो उस तारीख से, जिस तारीख को वह नए स्थान पर रिपोर्ट करता है, शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी संतानों की बाबत रु.700 प्रति माह शैक्षणिक वर्ष के मध्य स्थानांतरण भत्ता देय होगा, परंतु ऐसा भत्ता उस दशा में बंद हो जाएगा जब सभी संताने पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देंगी।

(5) मई, 2010 की पहली तिथि को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह जिस पद पर प्रतिनियुक्त है, उस पद से संबंधित परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प दे सकता है अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम रु. 2300 प्रति माह तथा ऐसे अन्य भत्ते, जो वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने पर लेता, ले सकता है।

परंतु यह कि वह ऐसे प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्त है जो उसी स्थान पर अवस्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले पदस्थ था, तो वह अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.1200 प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा।

परंतु यह भी कि बैंक की प्रशिक्षण संस्था में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कोई अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.1200 प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता हेतु प्राप्त करने का पात्र होगा।"

(iv) उप-विनियम (8) हेतु निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(8) नवम्बर 2007 के पहले दिन को या उसके बाद से यदि किसी दिन उसका कार्य समय न्यूनतम दो घंटों के अंतराल से विभाजित है तो वह अधिकारी रु.165 प्रतिमाह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते का पात्र होगा।"

(v) उप-विनियम (10) में—

(ए) "नवम्बर 2002 के पहले दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों हेतु "नवम्बर 2007 के पहले दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(बी) तालिका हेतु, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर से अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान एवं मरकारा शहर	वेतन का 2% अधिकतम रु. 550 प्रति माह
(ii) 1500 मीटर से अधिक किंतु 3000 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2½ % अधिकतम रु. 680 प्रति माह
(iii) 3000 मीटर तथा उससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु. 1570 प्रति माह

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ए) हेतु निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(ए) चिकित्सा व्यय- नवम्बर, 2007 के पहले दिन को और उसके बाद से नीचे दी गई तालिका में यथाविनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, स्वयं और उसके परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अधिकारी के इस प्रमाणपत्र के आधार पर, कि उसने ऐसा व्यय उपगत किया है, जिसके समर्थन स्वरूप दावाकृत रकमों के लिए लेखा विवरण दिया जाएगा, हेतु पात्र होगा, अर्थात्:—

तालिका

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी एवं मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु. 5100 अथवा उपगत राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी एवं शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु. 6320 अथवा उपगत राशि जो भी कम हो

नोट : (i) किसी अधिकारी को उपभोग न की गई चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते कि यह किसी भी समय ऊपर उल्लिखित राशि के तीन गुणा से अधिक न हो अथवा;

(ii) वर्ष 2007 हेतु चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो माह अर्थात नवम्बर, 2007 और दिसम्बर, 2007 हेतु समानुपातिक आधार पर बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजनार्थ—

(i) अस्पताल में भर्ती प्रभारों को अधिकारी के मामलों में 100 प्रतिशत और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति उन सभी मामलों में की जाएगी जिसमें अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक था अथवा;

(ii) मई, 2010 के पहले दिन को और उसके बाद से इस विनियम के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों हेतु अप्रैल, 2010 की 27वीं तारीख के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत यथानिर्धारित अस्पतालीकरण योजना के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निम्नलिखित तालिका में यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन होगी, अर्थात्—

तालिका

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और III	(i) शैय्या प्रभार स्वयं- रु.700 प्रति दिन परिवार- रु. 525 प्रतिदिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों हेतु प्रयोज्य अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 125% के स्केल पर।

IndiaCode

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV और V तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI और VII	(i) शैय्या प्रभार स्वयं- रु. 900 प्रति दिन परिवार- रु. 675 प्रतिदिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों हेतु प्रयोज्य अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150% के स्केल पर"

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में उप-विनियम (2) हेतु निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यह बैंक पर निर्भर होगा कि वह नवम्बर, 2007 के पहले दिन को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा उस वेतनमान, जिसमें उसे रखा गया है, के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के समतुल्य राशि या निवास का मानक किराया जो भी कम हो, का संदाय करने पर निवास स्थान की व्यवस्था करे:

परंतु यह कि वेतनमान के प्रथम चरण, जिसमें उसे रखा गया है, के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त राशि उस अधिकारी से बैंक द्वारा वसूल की जाएगी जिसे ऐसे आवास में फर्नीचर प्रदान किया गया हो।

परंतु यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसा रिहायशी आवास प्रदान किया जाता है वहां के बिजली, पानी,गैस और सफाई व्यवस्था संबंधी खर्च अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

10. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"(3) मई, 2010 के पहले दिन से 12 महीनों की समग्र अवधि के अंदर गर्भाशयोच्छेदन (हिस्ट्रेक्टोमी) के मामले में अधिकतम 45 दिनों तक अवकाश भी प्रदान किया जा सकेगा।"

11. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में खंड(ए) हेतु निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ए) विराम भत्ता- मई, 2010 के पहले दिन को और उसके बाद से निम्न तालिका के स्तंभ (1) में वर्णित श्रेणियों अथवा वेतनमानों में अधिकारी उसके स्तंभ (2) में वर्णित तत्स्थानी दरों पर 'प्रति दिन' विराम भत्ते का हकदार होगा, अर्थात-

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी एवं वेतनमान	प्रमुख "ए" वर्ग शहर	क्षेत्र ।	अन्य स्थान
(i)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान ।, ।। और ।।। के अधिकारी	800	700	600

परंतु यह कि वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में चार मेट्रो अर्थात दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै में बाहरी कार्य हेतु देय दैनिक विराम भत्ता रु. 1200 और वेतनमान । अथवा ।। अथवा ।।। के अधिकारियों हेतु दैनिक विराम भत्ता रु. 1000 होगा:

परंतु यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किंतु 4 घंटे से अधिक है, विराम भत्ता उपर्युक्त दरों से आधी दरों पर देय होगा।

स्पष्टीकरण – विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए "प्रति दिन" से चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि अथवा उसका पश्चातवर्ती भाग अभिप्रेत होगा जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में प्रस्थान हेतु रिपोर्ट करने के समय से तथा अन्य दशाओं में प्रस्थान के अनुसूचित समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है वहां "प्रति दिन" से कम से कम आठ घंटे की अवधि अभिप्रेत होगी ।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) मई, 2010 के पहले दिन को और उसके बाद से, अधिकारी स्थानांतरण पर पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा कराने आदि से संबंधित व्यय हेतु निम्नलिखित तालिका में यथाविनिर्दिष्ट एकमुश्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात्:—

"तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 12,000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 9000"

13. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि 1 मई, 2010 से कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान । का अधिकारी छुट्टी किराया रियायत का लाभ उठाते समय इकानोमी क्लास में न्यूनतम किराए पर हवाई यात्रा हेतु पात्र होगा इस मामले में वास्तविक किराया अथवा यात्रा की दूरी हेतु रेल द्वारा एसी प्रथम श्रेणी हेतु प्रयोज्य किराए, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और यही नियम छुट्टी किराया रियायत का लाभ उठाते समय मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान ।। और मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान ।।। पर भी लागू होगा जहां दूरी 1000 किमी से कम है।"

14. उक्त विनियमों के विनियम 45 में,—

(i) उप-विनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि अप्रैल, 2010 के पहले दिन अथवा उसके बाद से बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले अधिकारियों हेतु कोई भविष्य निधि नहीं होगी ",

(ii) उप-विनियम (3) में, खंड (बी) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(सी) अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल अधिकारी, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया है, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत बने रहेंगे ।"

(iii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) अप्रैल, 2010 के पहले दिन अथवा उसके बाद से बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होंगे जहां अधिकारी वेतन और मंहगाई भत्ते के दस प्रतिशत का अंशदान करेगा और बैंक दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ. सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के उपबंधों के अनुसार इतनी ही राशि का अंशदान करेगा। "

15. उक्त विनियमों की अनुसूची हेतु , निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित होगी, अर्थात्:—

"इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 की अनुसूची"

[देखें विनियम 23 का उप विनियम (2)]

नवम्बर, 2007 की पहली तारीख से निम्न तालिका में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अधिकारी उस समय तक विशेष क्षेत्र भत्ता पाने का पात्र होगा जब तक इसे पूर्णतया अथवा अंशत: हटाया या संशोधित नहीं किया जाता, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**भत्ता (रु.)**	
		रु.14700/- से कम वेतन	**रु.14700/- से अधिक वेतन**
1	**2**	**3**	**4**
1.	**मिजोरम** ए) मिजोरम का चिम्प्तुपुई जिला और मिजोरम के लुंगली जिले में लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्र	2000	2600
	बी) मिजोरम के लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर समस्त लुंगली जिला	1600	2100

	सी) मिजोरम का समस्त आइजोल जिला	1200	1500
2.	**नागालैण्ड**	1600	2100
3.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** ए) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नरकोदम द्वीप समूह	2000	2600
	बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	**सिक्किम**	2000	2600
5.	**लक्षद्वीप द्वीप समूह**	2000	2600
6.	**असम**	320	400
7.	**मेघालय**	320	400
8.	**त्रिपुरा** ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	1600	2100
	बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर समस्त त्रिपुरा	1200	1500
9.	**मणिपुर**	1200	1500
10.	**अरुणाचल प्रदेश** ए) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र	2000	2600
	बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर समस्त अरुणाचल प्रदेश	1600	2100
11.	**जम्मू और कश्मीर** ए) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोदी	2000	2600
	बी) उधमपुर जिला (i) डुडु बसंतगढ़, लेंडर भामग इलाका, भाग 2(बी) में सम्मिलित के अलावा अन्य	2000	2600
	(ii) कमबन की ओर से गुल तक के क्षेत्र एवं तहसील मोढ़ में केसई की ओर से अर्नाज तक के क्षेत्र	1600	2100
	(सी) डोडा जिला: किश्तवर तहसील में पेडुर एवं नियाबत नौगाम के इलाके	2000	2600
	(डी) लेह जिला: जिले के सभी स्थान	2000	2600
	(ई) बारामूला जिला (i) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदार उप-खंड एवं करण इलाका	2000	2600
	(ii) मच्छिल	1600	2100
	(एफ) पुंछ एवं राजौरी जिले: दोनो जिलों में पुंछ और राजौरी एवं सुन्दरबानी तथा अन्य शहरी इलाकों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र।	1200	1500
	(जी) ऐसे क्षेत्र जो उक्त की मद (ए) से (एफ) में शामिल नहीं है, किंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं अथवा उन स्थानों पर हैं	1200	1500

IndiaCode

	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों हेतु सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए जाते हैं।		
12	**हिमाचल प्रदेश** (ए) चम्बा जिला (i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बड़गांव, बाजोल, देवल कुगटी, नयागम एवं टुंडाह, गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटु, ग्राम पंचायत चौहाटा का कनारसी (ii) उक्त मद (i) में शामिल पंचायत एवं गांवों का छोड़कर भरमौर तहसील, (iii) भाटीयट तहसील में झांडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बानीखेत सहित)	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	बी) किन्नौर जिला: (i) असरांग, चिटकुल और हंगो कुनो/ चरांग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा कांबा, नाथपा और रुपी ग्राम पंचायतें पूह उप-खंड शामिल हैं, ऊपर विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर (ii) उपर्युक्त (ए) में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर सभी जिले सी) कुल्लू जिला: (i) निर्मांड तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें खारगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं। (ii) आउटर सेराज (निर्मांड तहसील में जकात खाना और बुर्रो के गांवों को छोड़कर) और सभी जिले (आउटर सेराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर किंतु इसमें निर्मांड तहसील के जगत खाना और बुर्रो गांव शामिल हैं) डी) लहौल और स्पीती जिला: लाहौल और स्पीती का संपूर्ण क्षेत्र ई) शिमला जिला: (i) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चड़ी-ब्रांडा पंचायतें शामिल हैं। (ii) डोरा-कवर तहसील, रामपुर में डरकाली ग्राम पंचायत, कशापथ तहसील और मुनीश, साराहन परगना का घोरी चैबीस (iii) चोपाल तहसील और घोरीस, पंजगांव, पत्सनाऊ, नौबीस और सराहन परगना की तीन कोटी, ताकलेश क्षेत्र का देवठी ग्राम पंचायत, बाराबीस परगना, रामपुर कसबा और रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला नगर और इसके उप नगर (ढल्ली, जाटोग, कसुम्पति, मशोब्रा, तारादेवी और तुतू)	2000 1600 2000 1200 2000 2000 1600 1200	2600 2100 2600 1500 2600 2600 2100 1500

IndiaCode

	(एफ) कांगड़ा जिला: (i) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	1600	2100
	(ii) कांगड़ा जिला का धर्मशाला टाउन और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय जो धर्मशाला टाउन में शामिल किए गए हैं – वुमेंस आईटीआई, दारी, मेकेनिकल वर्कशाप, रामनगर, चाइल्ड वेल्फेयर एंड टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, डुगियार, एचआरटीसी वर्कशाप, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फक्ट्री, दारी, , आई.पी.एच सब-डिवीजन, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर, पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर सहित कांगड़ा जिला का पालमपुर टाउन तथा नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय किंतु पालमपुर कस्बा में शामिल – एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बानुरी, सेरीकल्चर कार्यालय/ इंडो-जर्मन कृषि वर्कशाप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन, लोहना, डी.पीओ. कार्पोरेशन, बुंदला, विद्युत एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर	1200	1500
	(जी) मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, पंचायत थुनाग बागरा की तहसील, छत्री, छोटधर, गड़ागुसियान, गाटू, गरयास, जंजेली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कलवन, खोलानल, लोथ, सिलिबागी, सोमाचन, थचधर, टाची, थाना, धर्मपुर ब्लॉक की पंचायतें – बिंगा, कमलाह, सकलना, तन्यार और ताराखोला, करसोग तहसील की पंचायतें – बालीधर, बगड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सरहन और तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें – बोही, बटवारा, धनयारा, पौड़ा कोठी, सेरी और शोजा	1200	1500
	(एच) सिरमौर जिला: बानी की पंचायतें, बखkली (पच्छड तहसील), भरोग भनेरी (पावंता तहसील), बिड़ला (नहान तहसील), डिब्बर (पच्छड तहसील), और थाना कसोगा (नहान तहसील) एवं थंगिरि इलाका	1200	1500
	(आई) सोलन जिला: मंगल पंचायत	1200	1500
	(जे) हिमाचल प्रदेश के बाकी क्षेत्र जो उपर्युक्त के मद (ए) से (आई) में सम्मिलित नहीं है	320	400
13.	**उत्तराखंड** चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के क्षेत्र	2000	2600

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

ये विनियम जिन्हें भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है, इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी एसोसिएशनों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के तय निबंधनों और शर्तों के अनुसार है। अत:, ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एच. सी. सती, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

[विज्ञापन- III/4/असा./308/17 (77)]

टिप्पण : प्रधान विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तदुपरांत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधन किया गया :—

क्र. सं.	राजपत्र अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	विधि/1/87	19.08.87
2.	विधि/2/87	14.09.87
3.	विधि/3/87	02.11.87
4.	विधि/4/87	02.11.87
5.	विधि/5/87	13.11.87
6.	विधि/6/87	20.11.87
7.	विधि/2/88	07.10.88
8.	विधि/2/89	30.10.89
9.	विधि/2/90	21.06.90
10.	विधि/3/90	22.06.90
11.	प्रका/विधि/X-29/0646	18.08.92
12.	प्रका/विधि/334/0647	18.08.92
13.	प्रका/विधि/0550	17.08.93
14.	प्रका/विधि/1500	16.02.94
15.	प्रका/विधि/2614	11.01.95
16.	प्रका/विधि/2658	19.01.95
17.	प्रका/विधि/0279	15.06.95
18.	प्रका-प्रशा/5/1656	06.11.96
19.	प्रका/विधि/0938	25.01.97
20.	प्रका/विधि/1236	15.03.97
21.	प्रका/विधि/1273	04.03.99
22.	प्रका/विधि/949	10.12.99
23.	प्रशा/6/1992	26.06.2000
24.	प्रका/विधि/0576	05.07.2000
25.	प्रशा/3107	07.08.2002
26.	प्रका/प्रशा/एफ-49/775	05.11.2002
27.	प्रका/प्रशा/एफ-49/06395	27.01.2006
28.	प्रका/प्रशा/एफ-49/04608(ई)	01.11.2006
29.	प्रका/प्रशा/एफ-49/3241	12.08.2011
30.	प्रका/काप्र/एफ-49/5078	25.10.2011

IndiaCode

ALLAHABAD BANK

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

Kolkata, the 3rd November, 2017

F. No. HO/ADMN/3/F-49/1512.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.

2. In the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,—

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

'(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer'.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

(ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,—

(i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

(ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

"(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5-– 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.-Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.".

IndiaCode

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely:—

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

(c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation (2),—

(i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs. 1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of

pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.";

(ii) In the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) if an officer, as on the 27thApril 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.";

(c) in sub-regulation (3),—

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:—

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	**(B)**	**(C)**
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.";

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:—

"(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale";

5. In regulation 21 of the said regulations,—

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:—

"(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,—

(a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance'.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(1) on and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Where the place of work is in		HRA payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007,—

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Where the place of work is in		HRA payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

IndiaCode

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.";

7. In regulation 23 of the said regulations,—

(i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words "1st day of November 2002", the figures, letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words "1st day of November 2002, the figures, letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.";

(iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.";

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words "1st day of November 2002", the figures, letters and words "1st day of November, 2007" shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Place (1)	**Rate** (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs. 680 per month
(iii)Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs. 1570 per month";

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27thday of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:—

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs. 700 per day Family – Rs. 525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self – Rs. 900 per day Family – Rs. 675per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees."; IndiaCode

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.".

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

'(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to 'per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Grades/Scales of officers	Major `A' Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

"TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 12,000
Middle Management and Junior Management	Rs. 9,000".

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which

case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.".

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.";

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.";

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time."

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

"Schedule to Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979
[See sub-regulation (2) of regulation 23]

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
1.	**Mizoram**		
	(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	**Nagaland**	1600	2100
3.	**Andaman and Nicobar Islands**		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar andNarcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	**Sikkim**	2000	2600
5.	**Lakshadweep Islands**	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
6.	**Assam**	320	400
7.	**Meghalaya**	320	400
8.	**Tripura**		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	**Manipur**	1200	1500
10.	**Arunachal Pradesh**		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	**Jammu and Kashmir** (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500

IndiaCode

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(g) **Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.**	1200	1500
12.	**Himachal Pradesh**		
	(a) Chamba District		
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil,Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats,15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600

MediaCode

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500

Inoperative

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	**Uttarakhand** Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

H. C. SATI, General Manager (HR)

[ADVT.-III/4/Exty./308/17(77)]

Notes : The Principal Regulations were published in the Gazette and subsequently amended as per details given below:—

Sl. No.	Gazette Notification No.	Date
1	Legal/1/87	19.08.87
2	Legal/2/87	14.09.87
3	Legal/3/87	02.11.87
4	Legal/4/87	02.11.87
5	Legal/5/87	13.11.87
6	Legal/6/87	20.11.87
7	Legal/2/88	07.10.88
8	Legal/2/89	30.10.89
9	Legal/2/90	21.06.90
10	Legal/3/90	22.06.90
11	HO/Legal/X-29/0646	18.08.92
12	HO/Legal/334/0647	18.08.92
13	HO/Legal/0550	17.08.93
14	HO/Legal/1500	16.02.94
15	HO/Legal/2614	11.01.95
16	HO/Legal/2658	19.01.95

17	HO/Legal/0279	15.06.95
18	HO-Admn/5/1656	06.11.96
19	HO/Legal/0938	25.01.97
20	HO/Legal/1236	15.03.97
21	HO/Legal/1273	04.03.99
22	HO/Legal/949	10.12.99
23	Admn/6/1992	26.06.2000
24	HO/Legal/0576	05.07.2000
25	Admn/3107	07.08.2002
26	HO/Admn/F-49/775	05.11.2002
27	HO/Admn/F-49/06395	27.01.2006
28	HO/Admn/F-49/04608(E)	01.11.2006
29	HO/Admn/F-49/3241	12.08.2011
30	HO/PA/F-49/5078	25.10.2011

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.21 12:26:10 +05'30'